JALAUN POLICE

दिनांक – 30.06.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियो को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमे में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र अरविन्द सिंह राजपूत नि0 नगला खरगाई थाना सौरिख जनपद कन्नौज द्वारा वादिया की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में वादिया की तहरीर के आधार पर थाना कालपी में मु0अ0सं0 396/20(वाद सं0 03/21) धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर दिनांक 19.12.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 30.06.2025 को मा0 न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 363/366 भादवि व 04 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जुर्माने में से 20,000/- रुपये की राशि प्रतिकर स्वरूप पीडिता को प्रदान की जायेगी।